in addition to 1 Kg. of wheat, which costs Rs. 1.30. As such, while 30 paise is deducted from the cash wage, wheat worth Rs. 1.30 is given in addition which actually raises the total wage of a labourer to Rs. 4 per day instead of Rs. 3 per day.

(c) Yes, Sir.

(d) The Government of Maharashtra does not think it necessary to change its pattern

टिहरी-गढ़वाल जिले के गांवों में पेय जल की सप्लाई

3117. **श्री दया राम शाक्य :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टिहरी-गढ़वाल जिले के प्रत्येक गांव में पेय जल उपलब्ध करने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने गांवों को पेय जल की सप्लाई की गई है और इस योजना के अन्तर्गत कितने गांवों को पेय जल की सप्लाई की जाएगी , और

(ग) सरकार का इस योजना पर अनुमानतः कितना व्यय करने का विचार है और उस पर अब तक कितना धन व्यय किया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी): (क) और (ख). जिला टिहरी-गढ़वाल के ग्रामों के लिए पेय जल पूर्ति की योजनाएं बनाना और उन्हें कार्यान्वित करना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की जिम्मेदारी है । तथापि, केन्द्रीय सरकार त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी राज्यों के समस्याग्रस्त ग्रामों के लिए जल की व्यवस्था करने के लिए, उन्हें शत प्रतिशत अनुदान सहायता दे रही है ।

(ग) त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित राशि दी गई है :—

वर्ष	1977-78	1978-79	1979-80
राशि लाख रुपयों में	352 80	617 50	709 55

राजस्थान सरकार को अकाल राहत के लिए वित्तीय सहायता

3118. **श्री भीखा भाई :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्थान सरकार को अकाल राहत के लिए कितनी धनराशि दी गई है और किस शीर्ष से, तथा किन निर्माण-कार्यों के लिए धनराशि प्रदान की गई है, और

(ख) राजस्थान द्वारा अकाल राहत के लिए मांगी गई 100 करोड़ रुपए की धनराशि के बदले में केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि प्रदान की ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) और (ख). राज्य सरकार ने अपने ज्ञापन में राहत के लिए मांग की सीमा 5946 लाख रुपये की बांधी है । केन्द्रीय दल की रिपोर्ट और राहत से सम्बन्धित उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने केन्द्रीय सहायता के उद्देश्य के लिए 2010 75 लाख रुपये के व्यय की अधिकतम सीमा मंजूर की है । संलग्न विवरण में उन कार्यों का ब्यौरा दिया गया है जिनके लिए उपरोक्त राशि स्वीकृत की गई है ।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने खरीफ, 1980 के लिए कृषि आदानों की खरीद और वितरण हेतु 400 लाख रुपये का एक लघु अवधि ऋण भी स्वीकृत किया है । 1980-81 के लिए काम के बदले अनाज के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत एक लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का आबंटन किया गया है । काम के बदले अनाज के सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 10,000 मीटरी टन और खाद्यान्न आबंटित किया गया है । इसके अतिरिक्त, स्कूल न जाने वाले छोटे बच्चों, गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं, वृद्धों और अशक्तों के आहार के लिए पोषण के लिए खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 1979-80 के दौरान आबंटित 5900 मीटरी टन खाद्यान्नों में से बची हुई मात्रा के सितम्बर, 1980 तक उपयोग करने की राज्य सरकार को अनुमति दी गई ।

विवरण

(लाख रुपये)

व्यय की मद	गैर-योजना	योजना
1. तत्काल राहत के लिए पंचायतों के पास रखे जाने वाले गेहूं की लागत सहित बूढ़ों, अशक्तों, बच्चो, दूध पिलाने वाली / गर्भवती माताओं इत्यादि के लिए निःशुल्क राहत-नगद अनुदान ।	15.00	—
2. सबसे अधिक बुरी तरह से प्रभावित 9 जिलों में पशु कैम्पों और पशु आहार केन्द्रों के लिए राज सहायता . . .	200.00	—
3. बुरी तरह से सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में चारे की अधिप्राप्ति और परिवहन के लिए राज-सहायता . . .	50.00	—
4. बच्चों और दूध पिलाने वाली / गर्भवती माताओं के लिए मेडीकल तथा स्वास्थ्य उपाय जैसे हैजा, मियादी बुखार और अन्य संक्रामक बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरक्षण कार्यक्रम, पीने के पानी के स्रोतों को जीवाणुरहित करने और दवाओं का प्रावधान तथा विटामिनों की व्यवस्था करना ।	21.00	—
5. पीने के जल की व्यवस्था		
(क) 50 ट्रक टैंकरों की खरीद . . .	100.00	—
(ख) ट्रक टैंकरों के लिए मरम्मत सर्विसिंग केन्द्रों की स्थापना	2.75	—
(ग) ट्रक टैंकरों और अन्य साधनों द्वारा जल का परिवहन	50.00	—
(घ) सिंचाई व्यवस्था के लिए राज-सहायता . .	40.00	—
6. सूखे से बुरी तरह से प्रभावित इलाकों के निम्नलिखित क्षेत्रों में चालू योजना स्कीमों/ योजना प्राथमिकताओं में फिट होने वाली और योजना में शामिल हो सकने वाली स्कीमों में अतिरिक्त लाभदायक रोजगार देने के कार्यों में तेजी लाना :—		
(क) सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में कुओं पम्पों को बिजली प्रदान करना		200.00
(ख) जल आपूर्ति के लिए हैण्ड पम्प लगाना, विद्यमान कुओं को गहरा करना, गाद हटाना और विस्फोट करना तथा अन्य स्थाई व्यवस्था करना । . . .		300.00
(ग) सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में लघु सिंचाई कार्यों को तेज करना		300.00
(घ) सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक महत्व वाली सड़कों का निर्माण		300.00
(ङ) मृदा संरक्षण		75.00
(च) पुनः वनरोपण		75.00
7. सितम्बर, 1980 के अन्त तक सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों को दूध पिलाने वाली गर्भवती माताओं और निराश्रितों, बूढ़ों और अशक्त लोगों के लिए अतिरिक्त तथा आनुषंगिक खर्च अर्थात् विशेष पोषण कार्यक्रम के लिए धान्यों के अलावा खर्च । . .		50.00
8. अभिजात सांडों के रख-रखाव के लिए राज-सहायता .		15.00
9. केवल चारा उगाने के लिए सीमान्त तथा छोटे किसानों को प्रोत्साहन देना		7.00
10 सान्द्रित पशु आहार की बिक्री पर डेरी फेडरेशन को राज सहायता		10.00
योग : .	478.75	1532.00

कुल योग गैर-योजना और योजना = 2010.75 लाख रुपये